

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव,  
वाणिज्य-कर विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

विषय:- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के अंतर्गत कार्यरत ईकाइयों को 80 प्रतिशत वैट प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रो0 नीति-2016 के अंतर्गत वैट प्रतिपूर्ति हेतु Online प्राप्त आवेदनो में से अनुशसित ईकाइयों की सूची अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। वैट की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

(i) ईकाई द्वारा जमा किए गए वैट की अपने रिकॉर्ड (Record) से जाँच कर एवं पूर्व में की गई प्रतिपूर्ति की जाँच वाणिज्य-कर विभाग द्वारा की जाएगी। जमा किए गए कर के जाँचोपरान्त तत्काल पूँजी निवेश का 70 प्रतिशत तक एवं 01.09.2016 से 30.06.2017 तक ही वैट की प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ईकाई को निर्धारित अधिसीमा से ज्यादा राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ii) कलान्तर में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2016 के अंतर्गत पात्रता प्रमाण-पत्र के आधार पर देय कर अनुदान के अनुसार राशि का भुगतान या समायोजन किया जाएगा।

(iii) ईकाई द्वारा भुगतान किए गए Advance tax पर वैट प्रतिपूर्ति का भुगतान देय नहीं होगा। Advance tax का सामंजन बकाये कर के विरुद्ध करने के पश्चात् जो वास्तविक कर का भुगतान होगा उसी के विरुद्ध ही प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगा।

(iv) ईकाई को वैट की प्रतिपूर्ति करते समय यह ध्यान रखा जाय कि यह सुविधा उन्हीं ईकाइयों को देय है जो उत्पादन में हैं व कार्यरत हैं तथा ईकाई जिस वस्तु के उत्पादन में है, उसी के उत्पादित सामग्री पर चुकाए गए कर के विरुद्ध प्रतिपूर्ति किया जाय।

(v) जो ईकाई Trading या Repacking का कार्य कर रही है, उन्हें वैट प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।

(vi) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि Public Demand Recovery Act के तहत वसूल कर ली जाएगी।

(vii) वैट प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई राशि की सूचना अविलंब विभाग को दी जाएगी ताकि उद्योग विभाग का अभिलेख अद्यतन रखा जा सके।

(viii) उक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उद्योग विभाग द्वारा आवंटित राशि से किया जाएगा।

अनुलग्नक-यथोपरि

विश्वासभाजन

80/-

उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापक.....

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक.....

ह0/-


उद्योग निदेशक,

बिहार, पटना

पटना, दिनांक 05-03-19.....

ज्ञापक - 1300

प्रतिलिपि - संबंधित महाप्रबंधक/संबंधित इकाईयों/आईटी प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना

Sl. No.	App. Sl no.	Unit Name & Address	Date of Financial Clearance	Date of Commercial Production	Claim for the Financial Year	Investment Amount as per Financial Clearance	Total Tax Paid for the		Total Refund Taken till date	Claimed Amount of Refund	Remarks
							VAT	GST			
1	27	M/s D.R. Polymer, Plot No.-18, Industrial Area, Hajipur	04.09.17	25.06.17	03-2017 To 06-2017	8400000	203294.7	2328901.2	0	162635	Recommended for VAT
2	140	M/s Kaalendi Ventures LLP, Khirodpur, Fatuha, Patna	27.12.17	25.09.17	10-2016 To 06-2017	118600000	5082000	0	0	4065600	Recommended for VAT
3	151	M/s KBA Agrotech Pvt Ltd, Mohammed chak, Jagdishpur, Bhagalpur	24.04.17	25.01.17	03-2017 To 06-2017	129465000	321000	0	0	256800	Recommended for VAT
4	262	Goswami and Sons Beverage and Health Care Private Limited, Muzaffarpur	21.06.18	24.07.18	04-2017 To 08-2018	6729000	199000	98000	0	159200	Recommended for VAT
5	339	Banshi Airgases Pvt Ltd, Industrial Area, Fatuha	12.02.18	05.09.16	09-2016 To 04-2017	73531000	763000	0	0	610400	Recommended for VAT
6	243	M/s Sai Plast		25.04.2016	06-2016 to 03-2017	29250000	702578	391757	0	562062	Recommended for VAT
										<b>5816697</b>	
Rs. Fifty eight lakh sixteen thousand six hundred ninety seven											

RE

3P  
28/7/15

RH  
28/7/15